17/03/2020 LL.B. IV Sem

Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

MANEESHA SHARMA
Law faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

Scanned with CamScanner

प्रश्न5. न्यायालय द्वारा एक पंचाट कब अपास्त किया जा सकता है?

उत्तर:- पंचाट को अपास्त किये जाने के आधार धारा 34 उन उपायों का वर्णन करती है जो किसी माध्यस्थ अधिकरण द्वारा निर्मित पंचाट के विरुद्ध व्यथित पक्षकार को प्राप्त है। साथ ही यह धारा उन परिस्थितियों या आधारों का भी वर्णन करती है जिनके आधार पर माध्यस्थ पंचाट को अपास्त (निरस्त) किया जाता सकता है। यद्यपि पक्षकार को माध्यस्थ अधिकरण द्वारा निर्मित पंचाट के सम्मान को कम करने का अधिकार नहीं है। फिर भी न्यायालय को किसी विशिष्ट मामलों में अनुसरित सम्पूर्ण माध्यस्थ प्रक्रिया को पुनर्विलोकित करने का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत न्यायालय किसी माध्यस्थ पंचाट की संवैधानिकता की जांच कर सकता है।

धारा 34 की उपधारा (2) उन आधारों का वर्णन करती है जिनके आधार पर न्यायालय माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त कर सकता है जो पक्षकार किसी माध्यस्थ के पंचाट को अपास्त कराना चाहता है उसे न्यायालय से ऐलान करने हेतु एक आवेदन देना होगा तथा निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा —

1. यह किसी पक्षकार किसी अक्षमता के अन्तर्गत था अर्थात पक्षकार को यह सिद्ध करना होगा कि माध्यस्थ कार्यवाही के दौरान वह नाबालिक या पागल था।

2. यह कि पक्षकार जिस विधि से शासित है उसके अनुसार माध्यस्थम् करार वैध नहीं या उस समय लागू विधि के अन्तर्गत माध्यस्थम् करार कानूनी कमी के अन्तर्गत है।

धारा 34 की उपधारा (2) का खण्ड (क)(4) इस सिद्धान्त पर आधारित है पंचाट कि चुंकि माध्यस्थ अधिकरण, माध्यस्थम् करार की उपज है अतः यह माध्यस्थम् करार के दायरे के बाहर जाने में सक्षम नहीं है।

इस प्रकार चूंकि माध्यस्थम् अधिकरण पक्षकारो के माध्यम माध्यस्थ करार से ही जन्म लेता है अतः इसका स्वयं का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता। यह उन क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करता है। (वी० ए० श्रीवास्तव ब० एम० श्रीवास्तव A.I.R 1994 S.C. 2592)

धारा 34 की उपधारा (2) खण्ड (ख) का भाग (i) व (ii) न्यायालय को माध्यस्थ पंचाट अपास्त करने का अधिकार देता है परन्तु, ऐसा न्यायालय स्वयमेव नहीं करता सकता है ऐसा न्यायालय पक्षकारों के आवेदन द्वारा अनुरोध पर ही कर सकता है। इस प्राविधान के प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कोई एक शर्त साबित की जानी आवश्यक है।

(i) उस समय लागू विधि के अन्तर्गत विवाद की विषय-वस्तु का हल माध्यस्थम् द्वारा सम्भव नहीं है।

(ii) माध्यस्थम पंचाट भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है।

Scanned with CamScanner

आवेदन पेश करने की अवधि धारा 34 की उपधारा (3) के अनुसार, किसी माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने हेतु जिस तिथि को पक्षकार ने इस माध्यस्थ पंचाट को प्राप्त किया है जिसे अपास्त करने के लिए आवेदन दिया जा रहा हो उस तिथि से तीन माह के अन्दर आवेदन दिया जा सकता है या यदि इस अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अधिकरण द्वारा जा सकता है। आवेदन के निपटारे की तिथि से तीन माह के अन्दर माध्यस्थ पंचाट को अपास्त करने हेतु न्यायालय को आवेदन किया जा सकता है।

धारा 34 की उपधारा (4) कहती है कि इस धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने हेतु पक्षकारों द्वारा किए गए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात यदि न्यायालय यह उचित समझता है तो वह न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी निश्चित समयावधि के लिए माध्यस्थम् कार्यवाही स्थगित कर सकता है

(i) यह कि इससे माध्यस्थ अधिकरण को कुछ अन्तराल के विराम के पश्चात माध्यस्थ कार्यवाही को पुन प्रारम्भ करने का अवसर प्राप्त होता है।

(ii) यह कि इससे माध्यस्थ अधिकरण को कुछ अन्तराल के विराम के पश्चात माध्यस्थ कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ करने का अवसर प्राप्त होता है।

राज्य ब० रेशमा देवी A.I.R 1974 All.257 मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नियम प्रतिपादित किया कि धारा 34 उपधारा (4) के अन्तर्गत यह कल्पना नहीं की गई है पंचाट के एक अंश की पूर्ति की जाय तथा शेष भाग को माध्यस्थ अधिकरण को लौटा दिया जाय।

भारत संघ ब० मेसर्स जे०पी०शर्मा A.I.R Raj.251 में कहा गया है न्यायालय इस प्राविधान के अन्तर्गत माध्यस्थ अधिकरण को यह निर्देश दे सकती है माध्यस्थ अधिकरण ऐसे उपाय करे जिससे पंचाट को अपास्त करने के आधारों निवारण सके।

Scanned with CamScanner